न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/19/2020	2020/00023	19.02.2020	24.05.2022

1. लहरी पुत्र लालाराम,
2. किशोर पुत्र लालाराम,
3. हजारी पुत्र लालाराम, जाति मीना, निवासी डाबला मीना, तहसील राजगढ, जिला अवलर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 03.02.2020 प्रकरण संख्या 39/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलाण्ट्स

02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 प्रकरण संख्या 39/2019 जिसके द्वारा संवत 2076 में ग्राम डाबला मीना की आराजी खसरा न0 339 रकबा 0.29 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में अतिक्रमित रकबा 0.05 है0 में पक्की पानी की टंकी का निर्माण करने पर बेदखली की कार्यवाही एवं पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का ने हम अपीलान्ट के विरूद्ध एक गलत रिपोर्ट बाबत आराजी खसरा न0 339 ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ पर अतिक्रमण करने बाबत प्रस्तुत की जिस पर हम अपीलान्ट ने अदालत में उपस्थित होकर जवाव प्रस्तुत किया कि ग्राम डाबला मीना में काफी सालों से पीने के पानी की भारी परेशानी चली आ रही है जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आराजी में जो पानी की पुख्ता टंकी निर्माण की है वह अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम के लोगों की पानी की समस्या को देखते हुए ग्रामवासियान

24.05.2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

की सहमति से बनाई है। इस प्रकार से अपीलान्ट्स द्वारा व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। उक्त सार्वजनिक टंकी के बनाये जाने से ग्रामवासियान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई रूकावट है जो टंकी बनाई है वह रास्ते के लगते हुए है और उक्त टंकी के बन जाने से रास्ता में किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जिस पर तहसीलदार राजगढ में भू0अ0 निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की। भू0 अ0 निरीक्षक ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ताईद की जिसके आधार पर हम अपीलान्ट को 05 ऐयर रकबे से वेदखल करने व पैनल्टी कायम करने का आदेश विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 03.02.2020 को पारित कर दिया गया। जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश है।

यह अपील तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध अन्दर अवधि पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आदेश पारित किया गया है। हम अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। तहसीलदार राजगढ को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व रास्ते की पैमाइश करानी चाहिए थी। रास्ते में निर्मित पानी की टंकी राहगीर व्यक्तियों के पानी पीने के लिये काम में आती है। गर्मी के मौसम में पानी की कोई व्यवस्था इस टंकी के अलावा नहीं है, सार्वजनिक रास्ता भी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को निरस्त फरमावें।

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत 2076 वाके ग्राम डाबला मीना के आराजी खसरा न0 339 रकबा 0.29 है0 में से 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर पानी की पक्की टंकी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जवाब में दिनांक 09.12.2019 में कथन किया गया कि मिन अपीलान्ट का आराजी खसरा न0 339 रकबा 0.29 है0 में से 0.05 है0, गैर मुमकिन रास्ते पर काफी सालों से पीने के पानी की भारी परेशानी चली आ रही थी। जिसके कारण उक्त अपीलान्ट ने आराजी पर पानी की पुख्ता टंकी का निर्माण ग्रामवासियों की सहमति से किया जाना बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय से वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त करने पर तहसीलदार राजगढ के पत्र 436 दिनांक 26.02.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 भिजवाई गई है जिसमें आराजी खसरा नं0 339 रकबा 0.29 है0 में से 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम डाबला मीना पर लहरी, किशोर व हजारी पिता लालाराम जाति मीना निवासी डाबला मीना के द्वारा पानी की पक्की टंकी बनाकर निर्माण कर रखा है अतिक्रमियों द्वारा अभी तक कब्जा नहीं हटाया है। जिससे अपीलान्ट का मौके पर अतिक्रमण होना जाहिर होने पर अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट आराजी खसरा न0 339 रकबा 0.29 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 03.02.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

(signature) 24/05/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 19.02.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/05/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर